


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित व्याख्याता के स्थानांतरण/पदस्थापन का इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/सी-5/स्थानांतरण-पदस्थापन/2018 दिनांक 18/06/2018 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्र.स.	कार्मिक का नाम	विषय	कहां से (राउमावि/राबाउमावि)	कहां को (राउमावि/राबाउमावि)
1.	प्रेमशंकर चौबीसा	भूगोल	राउमावि बरोडा, सलम्बुर, उदयपुर स्थानांतरणाधीन राउमावि थाणा, उदयपुर	राउमावि थाणा, सराडा, उदयपुर

कार्मिकों को दिनांक : 20/07/2018 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा।। शेष शर्तें मूल आवेदानुसार यथावत रहेगी। प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वह शाला में व्याख्याता को नियमानुसार कार्यग्रहण करवाकर सूचना इस कार्यालय व शाला दर्पण में अपडेट करने की व्यवस्था करावें। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं कार्यग्रहण काल देय होगा।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/स्थानांतरण-पदस्थापन/2018

दिनांक 13/07/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक,माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार),प्राथमिक,माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा विज्ञान जयपुर
2. निजी सचिव,शासन सचिव,स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,जयपुर
3. उपनिदेशक, (माध्य) उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य) उदयपुर
5. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि बरोडा, सलम्बुर, उदयपुर को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संबंधित कार्मिक,
7. निजी/रक्षित पत्रावली
8. सिस्टम एनेलेसिस्ट कम्प्युटर अनुभाग


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर